(126)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर §म0प्र0§

प्र0क्र0/

R5242-III/15

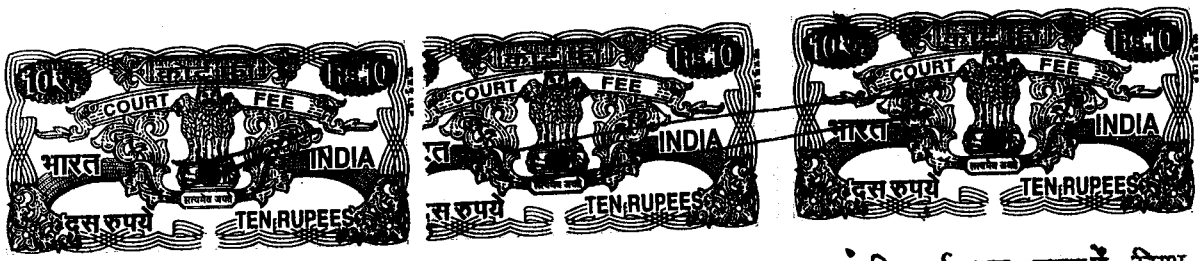



Rs 30/-

रामानन्द मिश्र आत्मज स्व० रामधुनी उर्फ रामदुलारें मिश्र उम्री लगभग 72 बर्ष, पेसा ब्यापार एवं कृषि निवासी ग्राम, पो0आ0 थाना व तहसील नई गढ़ी जिला रीवा §म0प्र0§ हाल मुकाम बजरंग चौक सन्तोषी माता मन्दिर सुरेन्द्रगढ़ महात्मा गांधी नगर नागपुर पश्चिमी सिमनरी हिल्स पो0आ0 सिमनरी हिल्स तहसील व जिला नागपुर महाराष्ट्र - - -अपीलार्थी/आवेद

बनाम

चन्द्रपाल राम तनय स्व० रामभाऊराम ब्रा0 उम्री लगभग 80 बर्ष पेसा खेती नि0ग्राम पो0आ0 थाना व तहसील नइगढ़ी जिला रीवा §म0प्र0§ ---- ------------प्रत्यर्थी/ अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0§

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज, जिला री §म0प्र0§ के अपील प्र0क्र0/64/अ6/11-012 आदे दिनांक 16-10-015§ सोलह अक्टूबर सन् दो ह पन्द्रह §

श्री रामकुशील शर्मा द्वारा आज दिनांक 18.12.15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :----

§अ§- यह कि अपीलार्थी/ आवेदक की पैतृक भूमियां ग्राम नईगढ़ी तहसील नईगढ़ी जिला रीवा §म0प्र0§ क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैं, तथा अपीलार्थी के पिता श्री रामधुनी उर्फ रामदुलारें की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी/ अनावेदक मृत ब्यक्ति रामधुनी मिश्र को अनावेदक के रूप में योजित कर अपीलार्थी/ आवेदक व अन्य सह खातेदारों को बिना पक्षकार बनायें एवं बिना कोई सूचना सम्मन भेजवाये ... न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5242–दो/2015 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15–5–2017 | आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 64/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन पर विस्तारपूर्वक निष्कर्ष निकालते हुये अपील को प्रचलनशील नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गया है कि आवेदक ने स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किये हैं। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इसलिए अपील प्रकरण में किसी तरह का कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |